कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

कार्या0– हैलेट रोड़ मुरादाबाद– 244001, कन्ट्रोल रूम– 9454418529 :

पत्रांकः स–47 / सीएफओ / एमडीडी / (स्कूल) / 2019 / 926

दिनांकः जून 15 ,2019

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल,
मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड़
जनपद मुरादाबाद(उ0प्र0)।

विषयः मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल,मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड़ जनपद मुरादाबाद(उ0प्र0)की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका प्रार्थना पत्र दिनांकः शून्य,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल भवन में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता के सम्बन्ध में श्री आर0के0सिंह अग्निशमन अधिकारी हैलेट रोड़ मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण कराया गया। तो उनकी निरीक्षण आख्या पत्रांकः स–31 / एफएसओ–एमडीडी / शैक्षिक भवन / 2019 / 347,दिनांकः 15.06.2019 के अनुसार प्रश्नगत भवन में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान स्थापित एवं कार्यशील दशा में पायी गयी–

(क)–भवन की संरचनाः–(उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्रांकः भ–16 / सीएफओ–एमडीडी–2011,दिनांकः 03.02.2011 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है, एवं पत्रांकः न–121 / सीएफओ–एमडीडी–स्कूल–2013,दिनांकः 14.06.2013 एवं पत्रांकः स–36 / सीएफओ–एमडीडी–17,दिनांकः 15.03.2017 एवं पत्रांकः प–45 / सीएफओ–एमडीडी–18,दिनांकः 07.05.2018 द्वारा उपकरणों की कार्यशलता का प्रमाण पत्र निर्गत है।)भवन लोवर ग्राउण्ड फ्लोर, भूतल व प्रथम द्वितीय तल पर निर्मित है,जो वर्ष–2003 से संचालित है। जिसका की चौड़ाई 15.00 एवं भवन की ऊचाई 13.00 मीटर है। प्रश्नगत भवन को सेन्ट्रल बोर्ड दिल्ली द्वारा दिनांकः 19.03.2014 मान्यता प्राप्त है।

(ग)–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें :–प्रश्नगत् भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी–

1. **प्राथमिक अग्शिमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**:–प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में स्थापित है।
2. **होजरील** :–प्रश्नगत् भवन में प्रत्येक तल पर होजरील कार्यशील दशा में उपलब्ध है,जिसे सदैव कार्यशील दशा में रखा जाये।
3. **डाउनकामर सिस्टमः**– प्रश्नगत भवन में डाउनकामर सिस्टम कार्यशील दशा में उपलब्ध है,जिसे सदैव कार्यशील दशा में रखा जाये।
4. **टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प** :–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक **10,000** लीटर क्षमता कार्यशील दशा में उपलब्ध है।

   टेरिस पम्प :–प्रश्नगत भवन की टेरिस पम्प **450** लीटर क्षमता कार्यशील दशा में उपलब्ध है,जिसे सदैव कार्यशील दशा में रखा जाये।
5. **एग्जिट साइनेजः**–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज स्थापित है।
6. **पी0ए0ः**–सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0सिस्टम स्थापित है।

(घ)–प्रश्नगत् भवन की सुरक्षा हेतु जनहित में उपरोक्त सुझावों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा–

1–प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखें जाये।

2–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित 24 x 7 प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।

3–प्रश्नगत् भवन किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायें। सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही भवन मान्य होगा।

4–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

5–प्रत्येक 6 माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाये। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये। ड्रिल सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अभिलेखों में अंकित किया जाये।

6–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7–प्रश्नगत् भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत किया जा रहा पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

8–प्रश्नगत भवन का विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा।

9–निकास मार्ग सदैव खुले एवं बाधारहित रखें जायें।

प्रबन्धक द्वारा संस्थान में उपलब्ध **25** अदद फायर एक्सटिंग्युशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः–1120(1)/आठ, दिनांकः 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रू0 **250/**–भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में चालान संख्याः **एफ.एफ–42406** दिनांकः **15.06.2019** द्वारा जमा कराया गया।

अतः प्रश्नगत भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं भवन में National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules–2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। तथा अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु अग्निशमन कार्य में दक्ष स्टाफ की उपस्थिति बनाये रखने की शर्त पर मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल,मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड़ जनपद मुरादाबाद(उ0प्र0)के प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य के अनुरोध पर अग्निशमन अधिकारी की आख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1141/छः–पु–8 –2007–23 (विविध)/07 दिनांकः 01.06.2007 के अनुपालन में निर्गत तिथि से 01 वर्ष(एक वर्ष) के लिए अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरीक्षण आख्या निर्गत की जाती है/उपरोक्त अग्निशमन उपकरणों की अकार्यशीलता अथवा अनुपलब्धता की स्थिति में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरीक्षण आख्या स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

15/6/19

(मुकेश कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :–

1. अग्निशमन अधिकारी,हैलेट रोड़ मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आ0का0हेतु प्रेषित।